## न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 1604 / 2013</u> संस्थापित दिनांक 20 / 12 / 2013

> . शासन द्वारा राज्य आरक्षी केन्द्र— मौ, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

> > <u>.... अभियोजन</u>

बनाम

नाथूसिंह पुत्र जसराम आयु ४६ वर्ष निवासी— द्वारिकापुरी वार्ड कृ०१३ थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

<u>.....</u> आरोपी

(अपराध अंतर्गत धारा—452 एवं 354 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर० सी० यादव)

## <u>::— नि र्ण य —::</u> (आज दिनांक 15 / 01 / 2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 30/09/2013 को सुबह लगभग 7:00 बजे द्वारिकापुरी मौ में अभियोक्त्री के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित करने एवं उसी समय अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर एवं सीना दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 452 एवं 354 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.13 को सुबह करीबन सात बजे अभियोक्त्री अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तभी आरोपी नाथू परिहार उसके घर के अंदर घुस आया था। अभियोक्त्री ने आरोपी से कहा था कि वह घर पर क्यों आया है तो आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था तथा उसके बांय तरफ का सीना दबाने लगा था एवं उसके कपड़े खींचने लगा था वह चिल्लाई थी तो मौके पर सुमन एवं ज्ञानमती आ गई थी जिन्हें देखकर आरोपी नाथू भाग गया था फिर वह रजनीश को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने गई थी। अभियोक्त्री द्वारा थाना प्रभारी मौ को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना मौ में आरोपी के विरूद्ध अप०क० 213/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण

विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है।

## 5. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :—</u>

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 30/09/2013 को सुबह करीबन 7:00 बजे द्वारिका पुरी मौ में अभियोक्त्री के निवासगृह मेंउपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय एवं स्थान पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर एवं सीना दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री आ0सा01, साक्षी सुमन अ0सा02, रजनीश अ0सा03, ए० एस० आई० प्रमोद भदौरिया अ0सा04, ज्ञानमती अ0सा05 एवं डाॅ० आर० विमलेश अ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोंकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोक्त्री आ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले सुबह सात बजे की है। उस समय वह घर पर अकेली थी उसका पित संजीव गांव चला गया था एवं सास ससुर हार में गए हुए थे तथा देवर लैट्रिन को चला गया था। आरोपी नाथू उसकेघर के आंगन में आ गया था और बुरी निगाह से देखने लगा था। आरोपी ने उसका हाथ पकड लिया था तथा उसके बांयी तरफ का सीना दबाने लगा था वह चिल्लाई थी तो सुमन भागती हुई आई थी उसके डर से आरोपी नाथू भाग गया था उसके बाद वह अपने देवर रजनीश को साथ लेकर रिपोर्ट करने गई थी प्र0पी01 के आवेदन के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह पढीलिखी नहीं है अपना नाम लिख लेती है एवं यह भी स्वीकार किया है कि नाथू उसका पडौसी है नाथू की दीवाल उसकी दीवाल से लगी हुई है। उसका नाथू के यहां कोई आना जाना नहीं है। उसके परिवार की लडाई चल रही है इसलिए नाथू के यहां आना जाना नहीं है। पद क03 में उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के समय वह अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसका देवर रजनीश लैट्रिन के लिए गया था वह घटना के करीब आधे घण्टे बाद आया था तब तक नाथू भाग गया था। घ ाटना के समय मोहल्ले के रूखसाना, गीता, ज्ञानमती तथा 10-20 लोग आ गए थे। उस समय वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। पद क04 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी ने उसका बांया हाथ पकडा था उसकी चूडी टूट गई थी तथा उसके हाथों में खरोच आ गई थी और खून निकला था उस समय वह कत्थई रंग की चूडी पहने थी चूडी बैठने से हाथ में खून आ गया था। पद क05 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह देवर रजनीश को साथ लेकर दोपहर 12 बजे रिपोर्ट करने गई थी उसने मोहल्ले के लोगों से सलाह की थी तब रिपोर्ट करने गई थी। उसने अपनी प्र0पी01 की रिपोर्ट में नाथू के द्वारा हाथ पकड़ने पर चूडी टूटने व खून आने वाली बात लिखा दी थी। प्र0पी01 की रिपोर्ट उसे पढकर नहीं सुनाई थी एवं हस्ताक्षर करा लिए थे। पद क्र06 में उक्त साक्षी का कहना है कि पुलिस घटना वाले दिन ही 2 बजे आई थी पुलिस ने मौके से टूटी हुई चूडियां व खून जप्त किया था उसकी डाक्टरी हुई थी उसके बांय हाथ में चोट थी और कहीं नहीं थी। डॉक्टर ने उसके बांय हाथ की चोट को चैक किया था। पद क07 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह नाथ को पहले से नहीं जानती थी घटना के समय से जानती है। उसने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था यदि उसके कथन प्र०डी०२ में लिखित आवेदन देने वाली बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती है। उसे घटना की तारीख, महीना, सन की जानकारी नहीं है।
- 10. साक्षी सुमन अ०सा०२ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री उसकी भाभी है। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले अभियोक्त्री का नाथू सिंह से कचरा डालने की बात पर झगडा हो गया था इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था झगडा बाहर गली में हुआ था उसने जाकर दोनों को समझाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकडकर उसकी छाती दबाई थी। उक्त साक्षी ने प्र0पी04 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है।
- 11. साक्षी रजनीश अ०सा०३ ने भी अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। ज्ञानमती अ०सा०५ ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के बारे में जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घाटना के समय आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ छेडछाड की थी।
- 12. डॉ० आर विमलेश अ०सा०६ ने चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०८ को प्रमाणित करते हुए व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 30.09.13 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान अभियोक्त्री ने अपने दांहिने कंधे पर दर्द होना बताया था लेकिन कोई दृश्यमान चोट नहीं थी उसकी रिपोर्ट प्र०पी०८ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 15. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में साक्षी सुमन अ0सा02 रजनीश अ0सा03 एवं ज्ञानमती अ0सा05 द्वारा अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। सुमन अ0सा02 ने अभियोक्त्री एवं आरोपी के मध्य कचरा डालने की बात पर झगडा होना बताया है। उक्त साक्षी रजनीश अ0सा03 तथा ज्ञानमती अ0सा05 ने घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि घटना के समय आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ छेडछाड की थी। इस प्रकार प्रकरण में साक्षी सुमन अ0सा02 रजनीश अ0सा03 एवं ज्ञानमती अ0सा05 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है आरोपी के विरुद्ध मात्र अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन शेष है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह घर पर अकेली थी तथा वह घर के आंगन में झाडू लगा रही थी तभी आरोपी नाथू उसके घर के आंगन में आ गया था उसे बुरी निगाह से देखने लगा था परंतु यह बात कि आरोपी अभियोक्त्री को बुरी निगाह से देखने लगा था अभियोक्त्री द्वारा आवेदन प्र०पी०1 रिपोर्ट प्र०पी०2 तथा अपने पूर्व न्यायालयीन कथन में नहीं बताई गई है। अभियोक्त्री अ०सा०1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपी ने उसका हाथ पकड कर उसका सीना दबाया था एवं उसके चिल्लाने पर सुमन भागती हुई आई थी तो आरोपी खरकर भाग गया था परंतु सुमन अ०सा०2 द्वार फरियादी के उक्त कथन का समर्थन नहीं किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि आरोपी एवं अभियोक्त्री के मध्य कचरा डालने की बात पर बाहर गली में झगडा हो गया था इसके अलावा कूछ नही हुआ था इस प्रकार सुमन अ०सा०2 द्वारा अभियोक्त्री अ०सा०1 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है सुमन अ०सा०2 ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का हाथ पकड कर उसकी छाती दबाई थी। इसस प्रकार अभियोक्त्री अ०सा०1 के कथन का समर्थन सुमन अ०सा02 द्वारा नहीं किया गया है। अभियोक्त्री अ०सा०1 एवं सुमन अ०सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 17. अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि घटना के समय वह आधा घण्टे चिल्लाई थी तथा घटना के समय मोहल्ले के 10—20 लोग रूखसाना, गीता, ज्ञानमती इत्यादि आ गए थे परंतु रूखसाना एवं गीता को अभियोजन द्वारा प्रक्रम में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा ज्ञानमती अ०सा05 द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। अभियोक्त्री अ0सा01 ने घटना के समय मोहल्ले के दस बीस लोग इकटढा हो जाना बताया है परंतु अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन का समर्थन किया हो। यहां तक की समन अ0सा02 जो कि अभियोक्त्री अ0सा01 की ननद है ने भी अभियोक्त्री अ0सा01 के

कथन का समर्थन नहीं किया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत की थी। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

- 18. अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि आरोपी ने उसका बांया हाथ पकडा था एवं आरोपी द्वारा हाथ पकड़ने से उसके हाथ की चूड़ी टूट गई थी उसके हाथों में खरोंच आ गई थी और खून निकला था। डाँ० ने उसके बांय हाथ की चोट को चैक किया था परंतु अभियोक्त्री अ0सा01 की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी08 में अभियोक्त्री के बांय हाथ में कोई चोट होना वर्णित नहीं है। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा हाथ पकड़ने से चूड़ी चुभने से उसके बांय हाथ में चोट आना बताया है। अभियोक्त्री द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि डाक्टर ने भी उक्त चोट देखी थी परंतु अभियोक्त्री की प्र0पी08 की चिकित्सकीय रिपोर्ट में अभियोक्त्री के बांय हाथ में कोई चोट होना दर्शित नहीं है ना ही उक्त बात अभियोक्त्री द्वारा अपने आवेदन प्र0पी01 रिपोर्ट प्र0पी02 में बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी08 से पुष्ट नहीं है यह तथ्य भी अभियोक्त्री के कथनों को अविश्वसनीय बना देता है।
- 19. अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि घटना वाले दिन उसने कत्थई रंग की चूडी पहने थी जो आरोपी के पकड़ने से टूट गई थी तथा पुलिस ने मौके से टूटी हुई चूडी एवं खून जप्त किया था परंतु प्रकरण में ऐसी कोई चूडी जप्त होना दर्शित नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन अभिलेख से पुष्ट नहीं रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोक्त्री अ0सा01 के कथनों को अविश्वसनीय बना देता है।
- 20. अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क02 में यह स्वीकार किया है कि नाथू उसका पड़ौसी है और नाथू की दीवाल उसकी दीवाल से लगी हुई है जबिक प्रतिपरीक्षण के पद क07 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह नाथू को पहले से नहीं जानती थी घटना के समय से जानती है। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क02 में यह बताया है कि आरोपी नाथू उसका पड़ौसी है परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क07 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी नाथू को पहले से नहीं जानती है। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री अ0सा01 परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर भी स्थिर नहीं रही है। उक्त साक्षी द्वारा एक ही बिंदु पर एक ही समय में परस्पर विरोधाभाषी कथन दिए गए हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 21. अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने थाने पर कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था यदि उसके पुलिस कथन प्र0डी02 में लिखित आवेदन देने वाली बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती उसे घटना की तारीख, महीना, सन की जानकारी नहीं है। उसने अपने बयान में घटना की तारीख एवं महीना नहीं बताई थी। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 द्वारा प्र0पी01 का आवेदन थाने पर दिए जाने से ही इंकार किया गया है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियोक्त्री द्वारा प्र0पी01 का लेखीय आवेदन थाने पर दिया गया था जिसके आधार पर प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी परंत् अभियोक्त्री अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में प्र0पी01 का लेखीय

आवेदन दिए जाने से इंकार किया गया है ऐसी स्थिति में प्र0पी01 का लेखीय आवेदन एवं उसके आधार पर लेखबद्ध की गई प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट ही संदेहास्पद हो जाती है एवं उक्त तथ्य से संपूर्ण अभियोजन कहानी ही संदेहास्पद हो जाती है।

- 22. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ०सा०1 के कथन से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री अ०सा०1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर तात्विक विंदुओं पर विरोधााभाषी रहे हैं अभियोक्त्री अ०सा०1 ने प्र०पी०1 का लेखीय आवेदन भी न देना व्यक्त किया है। प्र०पी०1 का आवेदन एवं प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट ही संदेहास्पदहै। अभियोक्त्री अ०सा०1 के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। अभियोक्त्री अ०सा०1 के कथनों का समर्थन साक्षी सुमन अ०सा०2 रजनीश अ०सा०3 एवं ज्ञानमती अ०सा०5 द्वारा भी नहीं किया गया है। अभियोक्त्री एवं आरोपी के परिवार में पूर्व से रंजिश होना प्रमाणित है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोक्त्री द्वारा रंजिश होने के कारण आरोपी को प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 23. संदहे कितना ही प्रवल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदहें से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 30/09/2013 को सुबह लगभग 7:00 बजे द्वारिका पुरी मौ में अभियोक्त्री के निवासगृह में उपहित कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं उसी समय अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर एवं सीना दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कारित किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी नाथूसिंह उर्फ नाथू परिहार को संदेह का लाभ देते हुए उसे भादसं की धारा 452 एवं 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान – गोहद दिनांक – 15–01–2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) ATTENDED A STORY OF THE PARTY O